

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

कमांक प.6(21)कृषि/ग्रुप-2/97

जयपुर, दिनांक, 12 JUL 2013


निदेशक,
कृषि विपणन विभाग,
राज0 जयपुर।

विषय:-पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 69(सी)(ii) के प्रावधानानुसार पंचायती राज संस्थाओं को राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 17 में निर्दिष्ट मण्डी फीस पर 1 प्रतिशत पंचायती राज अधिभार वसूल करने बाबत।

J-D/12/13
P. 12/13
direction
भवदीय,
12.07.13

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 69(सी)(ii) के प्रावधानानुसार मण्डी समितियों द्वारा उद्ग्रहित मण्डी शुल्क का एक प्रतिशत व्यापारियों से वसूल कर संबंधित जिला परिषदों को हस्तांतरित करने के संबंध में सभी मण्डी समितियों को निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।

भवदीय,


(आर.आर.सुलानिया)
उप शासन सचिव